

ऋण आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

आवेदन संख्या: _____

आवेदन तिथि: _____

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप नीचे दिए गए विवरण के साथ ऋण

प्रदान करें: _____

अनुरोधित ऋण राशि: _____

ऋण का उद्देश्य:

स्टॉक की खरीद

कार्यशील पूंजी की आवश्यकता मवेशियों की खरीद

कच्चे माल, मशीनरी की खरीद

व्यवसाय की एक ही पंक्ति में व्यवसाय का विस्तार

ब्याज दर: _____

ऋण की अवधि: _____

व्यक्तिगत विवरण - उधारकर्ता

 उपाधि: ☐ श्री। ☐ सुश्री। ☐ श्रीमती। ☐ डॉक्टर ☐ अन्य (_____)

फुल नेम: _____

प्रथम नाम: _____

पिता / पति का नाम: _____ माता का नाम: _____

 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY): _____ लिंग: ☐ पुरुष ☐ स्त्री

 अन्य वैवाहिक स्थिति: ☐ शादीशुदा ☐ अकेला ☐ अन्य

 ईमेल आईडी: - _____ राष्ट्रीयता: ☐ भारतीय ☐ अन्य

 शिक्षा स्तर: ☐ स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ पेशेवर ☐ अन्य

 व्यवसाय का प्रकार: ☐ कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ ☐ खुदरा व्यापारी ☐ स्व-नियोजित ☐ लघु/खुदरा विक्रेता

 अन्य आय का स्रोत: ☐ व्यावसायिक आय कोई अन्य: _____

व्यावसायिक आय: ₹ डेयरी फार्मिंग (_____)

अन्य आय: ₹ _____

सकल वार्षिक आय

पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए)

(निम्नलिखित पीओआई/पीओए की प्रमाणित प्रति जमा करने की आवश्यकता है)

अ. पैन नंबर या फॉर्म 60 (अनिवार्य): _____

आ. आधार कार्ड (यूआईडी): _____

इ. वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस: _____

ई. दूरस्रोत: _____

 कोटि: ☐ एसटी ☐ ओबीसी ☐ एससी ☐ सामान्य ☐ अल्पसंख्यक

धर्म:

स्थाई पता: जिला: _____ शहर: _____ राज्य: _____ पिनकोड: [][][][][][]

डाक पता/संचार पता जिला: _____ शहर: _____ राज्य: _____ पिनकोड: [][][][][][]

लैंडलाइन नंबर: [][][][][][][][] मोबाइल नंबर: [][][][][][][][][][][][][][][][]

व्यापार विवरण:

व्यवसाय का नाम: पता: _____ शहर: _____ राज्य: _____

व्यवसाय का प्रकार: _____

व्यापार विटेंज: _____

व्यक्तिगत विवरण - सीओ - आवेदक

 उपाधि: ☐ श्री। ☐ सुश्री। ☐ श्रीमती। ☐ डॉक्टर ☐ अन्य (_____)

फुल नेम: _____

प्रथम नाम: _____

पिता / पति का नाम: _____ माता का नाम: _____

जन्म तिथि (DD/MM/YYYY): _____ लिंग: ☐ पुरुष ☐ स्त्री ☐ अन्य

अन्य वैवाहिक स्थिति: ☐ शादीशुदा ☐ अकेला ☐ अन्य

ईमेल आईडी: - _____ राष्ट्रीयता: ☐ भारतीय ☐ अन्य

शिक्षा स्तर: ☐ स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ पेशेवर ☐ अन्य

व्यवसाय का प्रकार: ☐ कृषि और संबद्ध गतिविधियां ☐ खुदरा व्यापारी ☐ स्व-नियोजित ☐ लघु/खुदरा विक्रेता

अन्य आय का स्रोत: ☐ व्यावसायिक आय कोई अन्य: _____

व्यावसायिक आय: ₹ डेयरी फार्मिन(_____)

अन्य आय: ₹ _____

सकल वार्षिक आय

फोटोग्राफ: सेल्फ अटैस्टेड

पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए)

(निम्नलिखित पीओआई/पीओए की प्रमाणित प्रति जमा करने की आवश्यकता है)

अ. पैन नंबर या फॉर्म 60 (अनिवार्य): _____

आ. आधार कार्ड (यूआईडी): _____

इ. वोटर आईडी/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस: _____

ई. दूरस्रोत: _____

 कोटि: ☐ एसटी ☐ ओबीसी ☐ एससी ☐ सामान्य ☐ अल्पसंख्यक

धर्म:

स्थाई पता: जिला: _____ शहर: _____ राज्य: _____ पिनकोड: _____

डाक पता/संचार पता जिला: _____ शहर: _____ राज्य: _____ पिनकोड: _____

लैंडलाइन नंबर: _____

मोबाइल नंबर: _____

बैंकिंग और मौजूदा ऋण विवरण

खाताधारक का नाम	शाखा वाले बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड

बी) मौजूदा ऋण आधार उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता की घोषणा

ऋण देने वाली संस्था का नाम	ऋण का उद्देश्य	ऋण राशि	कार्यकाल (महीनों में)	मासिक किस्त	वर्तमान बकाया	सुरक्षा, यदि कोई हो

घोषणा

- मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सभी मामलों में सत्य, सही और पूर्ण है और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") से कोई भी भौतिक जानकारी नहीं रोकी गई है/दबाई गई है। मैं/हम सहमत हैं कि बैंक इसे सीधे या किसी तीसरे पक्ष के एजेंट के माध्यम से सत्यापित करने का हकदार है। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि वित्तीय/बैंक विवरण/टीआईएन/आदि/कानूनी दस्तावेजों आदि की संलग्न प्रतियां मेरे/हमारे ऋण आवेदन के खिलाफ मुझे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं और प्रमाणित करते हैं कि ये सच्ची प्रतियां हैं। हम इस संबंध में किसी अन्य स्रोत से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के बैंक के अधिकार को भी स्वीकार करते हैं।
- मैं/हम, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक/बैंकर/शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के निकट रिश्तेदार हूँ/हैं (हां नहीं रिश्तेदार का अर्थ है: पति/पत्नी, पिता, माता (सौतेली माँ सहित), बेटा (सौतेले बेटे सहित), बेटे की पत्नी, बेटी (सौतेली बेटी सहित), बेटी का पति, भाई (सौतेले भाई सहित), भाई की पत्नी, बहन (सौतेली बहन सहित), बहन का पति, पति या पत्नी का भाई (सौतेले भाई सहित), पति या पत्नी की बहन (सौतेली बहन सहित)।
- मैं/हम एक प्रमोटर/निदेशक/प्रमुख शेयरधारक/प्रवर्तक/प्रमुख शेयरधारक/महत्वपूर्ण इकाई का रिश्तेदार हूँ/हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर/प्रमुख शेयरधारक द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित या नियंत्रित किसी भी इकाई से जुड़े प्रमोटर/प्रमुख शेयरधारक/का प्रभाव - ☐ हां ☐ नहीं
- मैं/हम समझते हैं कि उपर्युक्त सभी जानकारी किसी भी सुविधा का आधार बनेगी जिसे बैंक प्रदान करने का निर्णय ले सकता है मुझे/हमें अपने विवेकाधिकार पर। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि मुझे/हमें प्रदान की जाने वाली कोई भी सुविधा बैंक के नियमों द्वारा शासित होगी जो समय-समय पर लागू हो सकती हैं। मैं/हम सुविधा/सुविधाओं के नियमों और शर्तों से बाध्य होंगे जो हो सकते हैं मुझे/हमें प्रदान किया जाए।
- मैं/हम बैंक को किसी भी शुल्क, शुल्क, ब्याज आदि के लिए बैंक के साथ मेरे ऋण खाते को डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं, जैसा कि लागू हो सकता है। मैं/हम अपने आवासीय या व्यावसायिक पते/संपर्क में किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंक को लिखित रूप में सूचित करने का वचन देता हूँ विवरण/व्यवसाय या ऐसा कोई परिवर्तन जो मेरी साख को प्रभावित कर सकता है और कोई अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए जिसकी बैंक को आवश्यकता हो सकती है।
- मैं/हम समझते हैं कि बैंक इस आवेदन के साथ प्रस्तुत तस्वीरों और दस्तावेजों को बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. मैं/हम समझते हैं कि इस ऋण की स्वीकृति बैंक के विवेकाधिकार पर है और बैंक द्वारा आवश्यक दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने पर निर्भर है।
8. मैं/हम सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि ऋण आय का उपयोग आवेदन पत्र में उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग पूंजी बाजार उपकरणों में मार्जिन निवेश या किसी भी सट्टा या अवैध या असामाजिक उद्देश्यों के लिए या प्राथमिक सोना, सोना बुलियन, सोने के आभूषण सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए नहीं किया जाएगा। स्वर्ण सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां, गोल्ड म्यूचुअल फंडों की इकाइयां, किसान विकास पत्र (केवीपी) और राष्ट्रीय बचत योजना (एनएससी) आदि सहित लघु बचत लिखतों के अधिग्रहण की सुविधा आदि के लिए सुविधा प्रदान की जाती है।
9. मैं/हम किसी भी वैधानिक या कानूनी कमजोरियों से पीड़ित नहीं हैं और बाध्यकारी समझौते में प्रवेश करने में असमर्थ हैं।
10. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि कोई दिवालियापन/समापन / विघटन कार्यवाही या कोई अन्य अपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और/या मेरे / हमारे खिलाफ लंबित है और मुझे कभी भी किसी भी अदालत या प्राधिकरण द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और न ही मेरी संपत्ति के लिए एक रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या इसी तरह के अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
11. मैं/हम न तो राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति हैं और न ही राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों से संबंधित हैं (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित और संशोधित किया गया है)।
12. मैं/हम समझते हैं कि ऋण की अवधि/पुनर्भुगतान/ब्याज/अन्य नियम और शर्तें ऋण के किसी भी निर्णय या मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप, गृह बाजार और आर्थिक मानदंडों में किसी भी बदलाव या किसी अन्य वैधानिक या नियामक आवश्यकताओं के कारण या बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं। बैंक ऋण की शर्तों की समीक्षा और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि वह उचित समझे।
13. मैं/हम समझते हैं कि ऋण निर्णय एक क्रेडिट मॉडल पर आधारित है जिसमें क्रेडिट इतिहास, पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड, बैंकिंग आदतें, व्यवसाय स्थिरता और नकदी प्रवाह विश्लेषण जैसे कारक शामिल हैं, जिनका मूल्यांकन व्यक्तिगत चर्चा और प्रलेखन के संयोजन के माध्यम से किया जाता है।
14. मैं/हम यह भी पुष्टि करते हैं कि बैंक या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा ऋण की मात्रा/स्वीकृति प्रक्रिया/या किसी विचलन/छूट के संबंध में मुझसे कोई प्रतिबद्धता नहीं की गई है। इसके अलावा, मैंने इस ऋण आवेदन के साथ या उसके संबंध में या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि को/या किसी अन्य तीसरे को नकद, वाहक चेक या वस्तु के रूप में कोई भुगतान नहीं किया है/नहीं किया है दावत।
15. मैं/हम समझते हैं कि एक पूर्व शर्त के रूप में, मुझे/हमें ऋण/अग्रिम/या अन्य गैर-निधि-आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित, बैंक को बैंक द्वारा मुझे/हमारे द्वारा उपभोग की गई ऋण सुविधा के बारे में जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण के लिए अपनी सहमति की आवश्यकता होती है, और उसके संबंध में मुझे/हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले दायित्वों और उसके निर्वहन में मुझे/हमारे द्वारा किए गए डिफॉल्ट, यदि कोई हो, की जानकारी और डेटा की आवश्यकता होती है। तदनुसार, मैं/हम इसके द्वारा सहमत हैं और बैंक द्वारा सभी या ऐसे किसी भी प्रकटीकरण के लिए सहमति देते हैं: (i) सूचना और डेटा मुझे/हमसे संबंधित; (ii) मुझे/हमारे द्वारा उपभोग की गई/प्राप्त की जाने वाली किसी भी ऋण सुविधा से संबंधित सूचना या आंकड़े; और (iii) डिफॉल्ट, यदि कोई हो, मेरे / हमारे ऐसे दायित्व के निर्वहन में मेरे द्वारा किया गया है, जैसा कि बैंक उचित और आवश्यक समझे, क्रेडिट के लिए सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) और भारतीय रिज़र्व बैंक/सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी भारत सरकार और सिबिल और ऐसी कोई भी इस प्रकार प्राधिकृत अन्य एजेंसी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और अन्य ऋण अनुदानकर्ताओं को, जैसा कि इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित सूचना और डेटा या उसके उत्पादों को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है।
16. मैं/हम अपने आवेदन की स्थिति, खाता गतिविधि, सेवा कॉल (सहित सहित) से संबंधित एसएमएस अलर्ट/फोन कॉल प्राप्त करने के लिए सहमत हैं संग्रह, सलाह और शैक्षिक/सूचनात्मक संदेश), नियामक अपडेट के साथ-साथ उत्पाद उपयोग संदेश/कॉल जो बैंक समय-समय पर मेरे मोबाइल/फोन नंबर पर भेजेगा/करेगा, जैसा कि इस आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है।
17. मैं/हम एतद्वारा केवाईसी उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से अपने विवेक से बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण या ऑफलाइन जमा करते हैं पहचान/पते के प्रमाण को स्थापित करने के उद्देश्य से यूआईडीआईआई (आधार) द्वारा बैंक को परिभाषित सत्यापन तरीके।
18. मैं/हम बैंक को यूआईडीआईआई से मेरे विवरण को सत्यापित करने के लिए मेरे आधार नंबर और/या बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं समझता हूँ कि बैंक यूआईडीआईआई से डेटा मांगेगा और इसे मुझे/हमें मेरे द्वारा चुने गए उत्पादों/सेवाओं को प्रदान करने के लिए बैंक के पास संग्रहीत किया जाएगा।
19. मैं/हम बैंक को आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सीकेवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति देते हैं। मैं/हम केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) से अपने केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, केवल सीकेवाईसी रजिस्ट्री के डेटाबेस से मेरी/हमारी पहचान और पते के सत्यापन के उद्देश्य से। मैं/हम समझते हैं कि मेरे केवाईसी रिकॉर्ड में मेरे केवाईसी रिकॉर्ड/व्यक्तिगत जानकारी जैसे मेरा नाम, पता, जन्म तिथि, पैन नंबर आदि शामिल हैं।
20. मैं/हम बैंक को मुझे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी/डेटा को समूह को मुझे/हमसे संबंधित किसी भी विशिष्ट सहमति या प्राधिकरण के बिना, किसी भी तरह से साझा करने, प्रकट करने, विनिमय करने या उपयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं कंपनियां/एसोसिएट्स/सहायक कंपनियां/सहयोगी/बैंक के संयुक्त उद्यम/कोई भी व्यक्ति जिसके साथ बैंक ने प्रवेश किया है/बैंक द्वारा पेश किए गए किसी भी उत्पाद/सेवाओं के विपणन/पेशकश/बिक्री के उद्देश्य से मुझे/हमारे उत्पादों/सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था में प्रवेश करने का प्रस्ताव किया है।
21. मैं/हम बैंक को समय-समय पर आवेदन पत्र में मेरे व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं ताकि मुझे/हमें मार्केटिंग भेज सकें बैंक द्वारा स्वयं और सहयोग से या भागीदारों/तृतीय पक्षों के साथ गठजोड़ के माध्यम से पेश किए जाने वाले उत्पादों, सेवाओं या प्रचार प्रस्तावों के बारे में सूचित करने के लिए मुझसे संपर्क करें। नीचे अपनी वरीयता देकर आप बैंक को एसएमएस, फोन कॉल और ई-मेल के माध्यम से आपसे संपर्क करने की अनुमति देते हैं या अस्वीकार करते हैं:
☐ हाँ, बैंक मुझसे संपर्क कर सकता है ☐ नहीं, बैंक मुझसे संपर्क नहीं कर सकता है।
22. मैं/हम, एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हम बैंक या किसी अन्य बैंक में निदेशक नहीं हैं और मैं/हम ऋणदाता बैंक के किसी भी निदेशक के रिश्तेदार नहीं हैं।
23. मैंने/हमने www.shivalikbank.com ("वेबसाइट") में निर्धारित विभिन्न सेवाओं से संबंधित नियमों और शर्तों को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया है।
24. मैं/हम समझते हैं कि यह ऋण बैंक के "उचित व्यवहार कोड" के अनुपालन में स्वीकृत किया गया है जो बैंक पर उपलब्ध है और उस पर जाने के लिए लिंक <https://shivalikbank.com/regulatory-section/policies/fair-lending-practice-code-policy>

25. मैं/हम समझते हैं कि किसी भी प्रश्न के मामले में, मैं कस्टमर केयर एजीक्यूटिव से टोल फ्री नंबर 1800-202-5333 पर संपर्क कर सकता हूँ या भेज सकता हूँ customercare@shivalikbank.com करने या निकटतम शाखा पर जाने के लिए एक ईमेल।
26. मैं/हम समझते हैं कि यहां दिए गए खंडों को मेरे और बैंक के बीच एक स्पष्ट या निहित समझौते का गठन नहीं माना जाएगा।
27. मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि बैंक अपने विवेकाधिकार से, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए सेवाएं दे सकता है ताकि अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाई जा सके।
28. मैं/हम शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से उपयुक्त बीमा पॉलिसी लेने के लिए अनुरोध करते हैं और अपनी अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं:
☐ क्रेडिट लिंक्ड इश्योरेंस ☐ हॉस्पिकेशन जैसे अप्रत्याशित परिस्थितियों की स्थिति में मृत्यु, बीमा दावा
 ऋण जीवन बीमा राशि (जैसा लागू हो) के लिए निपटान बैंक द्वारा सीधे ऋण खाते में जमा किया जाएगा। ऋण समायोजन के बाद किसी भी शेष राशि का भुगतान आवेदक के नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा। अस्पताल नकद बीमा के लिए दावे का भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाएगा।
29. न तो मैं किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर रहा हूँ और न ही किसी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा किसी खाते को बंद खाते में डाला गया है, और यह कि मेरा नाम आरबीआई/ईसीजीसी चेतावनी सूची/डिफॉल्टरों की सूची आदि में नहीं है।
30. मैंने/हमने आवेदन पत्र पढ़ लिया है और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से वित्त प्राप्त करने के सभी नियमों और शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है। या इसके एजेंट को इस एप्लिकेशन में जानकारी से संबंधित संदर्भ और पूछताछ करने के लिए जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आवश्यक मानता है। इसके अलावा, मैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों/ऋण को मुझे/हमारे ऋण विवरण और पुनर्भुगतान इतिहास की जानकारी से संबंधित सभी सूचनाओं का आदान-प्रदान करने, साझा करने, भाग लेने के लिए भी अधिकृत करता हूँ ब्यूरो/एजेंसियां जैसा भी आवश्यक हो सकता है और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को इस जानकारी के उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएंगी।
31. मैं/हम उपरोक्त की पुष्टि के रूप में अपने/अपने हस्ताक्षर चिपकाते हैं।
32. मैं/हम एतद्वारा समझते हैं कि कैप्चर किए गए हस्ताक्षर का उपयोग भविष्य के सभी लेनदेन को अधिकृत/सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। मैं/हम सहमत हैं कि ऊपरी/नीचे दिए गए हस्ताक्षर का उपयोग नमूना हस्ताक्षर के

Declaration in Hindi:

मैंने/हमने उपरोक्त खण्डों तथा महत्वपूर्ण कर्ज समझौते को पढ़ लिया है और समझा दिया गया है। इसे मेरी/हमारी उपस्थिति में भरा गया है। मैं/हम इस महत्वपूर्ण विवरण सहित सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे। पूर्वोक्त में दिए गए करारनामों और अन्य दस्तावेजों को मेरी/हमारी समझ में आने वाली भाषा में मुझे/हमें बताया गया है और मैंने/हमने विभिन्न खण्डों का पूरा तात्पर्य समझ लिया है। ऋण प्राप्तकर्ताओं ने इस समझौते की विषयवस्तु सत्यापित करने और समझने के बाद अपने हस्ताक्षर किये हैं।

Declaration in Marathi:

संपूर्ण करार माझ्या/आमच्या उपस्थितीत भरला गेला आहे हे मी/आम्ही वाचले/स्पष्ट केले आहे. मला/आम्ही केलेल्या कर्ज अर्जात मी/आम्ही भरलेल्या सर्व अटी आणि तपशिलांच्या संदर्भात स्वतःचे समाधान केल्यानंतरच बँक या कराराचा पक्ष बनण्यास सहमत आहे/ते याची मला/आम्हाला जाणीव आहे.

Declaration in Gujarati:

મે/અમે ઉપરોક્ત કલમો અને મહત્વપૂર્ણ લોન કરાર વાંચ્યા અને સમજી લીધા છે. આ મારી/અમારી હાજરીમાં ભરવામાં આવે છે. હું/અમે આ મહત્વપૂર્ણ વિગત સહિત તમામ નિયમો અને શરતોનું પાલન કરવા બંધાયેલા રહીશું. ઉપરોક્ત અને અન્ય દસ્તાવેજોમાં સમાવિષ્ટ કરાર મને/અમને સમજાય તેવી ભાષામાં જણાવવામાં આવ્યો છે અને હું/અમે વિવિધ કલમોનો સંપૂર્ણ અર્થ સમજી ગયા છીએ. ઋણ લેનારાઓએ આ કરારની સામગ્રીને ચકાસ્યા અને સમજ્યા પછી હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

Declaration in Tamil:

எனது/எங்கள் முன்னிலையில் முழு ஒப்பந்தமும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதை நான்/நாங்கள் படித்தோம், அது தொடர்பாக /எனக்கு/எங்களுக்கு விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நான்/நாங்கள் செய்த கடன் விண்ணப்பத்தில் நான்/நாங்கள் பூர்த்தி செய்த அனைத்து நிபந்தனைகள் மற்றும் விவரங்கள் குறித்து நான் திருப்தியடைந்த பின்னரே வங்கி இந்த ஒப்பந்தத்தில் ஒரு தரப்பினராக ஒப்புக்கொள்கிறது என்பதை நான்/நாங்கள் அறிவோம்.

Declaration in Telugu:

నా/మా సమక్షములో నింపబడిన మొత్తం అంగీకారపత్రాన్ని నేను/మేము చదువుకున్నాము / చదివి వివరించగా విన్నాము. మాచే / మాచే చేయబడిన లోన్ దరఖాస్తు లో నాచే/మాచే నింపబడిన షరతులు మరియు వివరాలను అన్నీంటికీ సంబంధించి తనకు తానుగా సంతృప్తి చెందిన తర్వాత మాత్రమే ఈ అంగీకార పత్రానికి ఒక పక్షముగా ఉండడానికి బ్యాంక్ అంగీకరించిందని నాకు/మాకు అవగాహన ఉంది.

मैंने/हमने इस आवेदन पत्र की सामग्री को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है और स्वीकार कर लिया है।

स्थान: _____ नाम: _____

खजूर: _____ आवेदक/उधारकर्ता हस्ताक्षर

सह-आवेदक का नाम: _____

स्ताक्षर: _____

ग्राहक स्वीकृति

आवेदक का नाम: _____ ऋण राशि लागू की गई: _____

ऋण आवेदन आईडी: _____

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड उपर्युक्त ऋण आवेदन पत्र की प्राप्ति को स्वीकार करता है। उक्त ऋण आवेदन पत्र की जांच आवेदन प्राप्त होने के अगले तीस (30) कार्य दिवसों के भीतर बैंक द्वारा की जाएगी। इस ऋण आवेदन की प्राप्ति किसी भी तरह से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को उक्त ऋण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं करती है, जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के विवेक पर होगा।

नाम: **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

स्वीकृति पत्र

दिनांक:	उधारकर्ता ग्राहक आईडी:
---------	------------------------

बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (बीसी) का नाम : सास्वत फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

उधारकर्ता का नाम	
सह-उधारकर्ता का नाम - 1	
सह-उधारकर्ता का नाम - 2	
उधारकर्ता का पता:	
सह-उधारकर्ता-1 पता	
सह-उधारकर्ता-2 पता	

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: असुरक्षित वित्तीय व्यवसाय ऋण (ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा) के प्रमुख नियमों और शर्तों- आवेदन संदर्भ संख्या.

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के संरक्षण के लिए धन्यवाद। आपके अनुरोध के अनुसार, आपके साथ हुई चर्चाओं के आधार पर, और आपके द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई जानकारी/दस्तावेजों/अभ्यावेदनों के आधार पर, हमें ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा, सहमत नियमों और शर्तों (टी एंड सी) के अपने स्वीकृति पत्र को सूचित करते हुए खुशी हो रही है।

कृपया "मुख्य तथ्य कथन" (केएफएस), क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल और डिफॉल्ट की घटना सहित पूरे स्वीकृति पत्र को ध्यान से पढ़ें

स्वीकृति पत्र में और ऋण करार (ओं) में।

इस स्वीकृति पत्र को आपके द्वारा तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए/हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और यह इस स्वीकृति पत्र की तारीख से केवल 30 दिनों की अवधि के लिए वैध है। यदि स्वीकृति समाप्त हो जाती है, तो इसे केवल आपकी लागत पर बैंक के विवेकाधिकार पर पुनर्मान्य किया जा सकता है, और बैंक स्वीकृति के नियम और शर्तों को बदल सकता है

स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करके, आप केएफएस, क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल और डिफॉल्ट की घटना सहित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं।

स्वीकृति पत्र आप में निहित नहीं है या आपको किसी भी कारण से बैंक के खिलाफ किसी भी नुकसान का दावा करने का अधिकार नहीं देता है या आपको या किसी को भी कोई अधिकार नहीं देता है।

एक बार स्वीकृति पत्र स्वीकार हो जाने के बाद, आपको ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा के संवितरण का लाभ उठाने के लिए लागू ऋण

समझौते/दस्तावेजों/प्रपत्रों/क्षतिपूर्ति/उपक्रम पर हस्ताक्षर करने/निष्पादित करने की भी आवश्यकता होती है। बैंक को लागू शुल्क और शुल्क प्राप्त करने की आवश्यकता है। बैंक द्वारा ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा के संवितरण से पहले आवश्यक सभी कानूनी औपचारिकताओं/दस्तावेजों को पूरा किया जाना आवश्यक है। साथ ही, बैंक द्वारा आवश्यक होने पर आपको बैंक को कोई भी दस्तावेज/जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। ऋण/ऋण सुविधाओं के वितरण/जारी करने के लिए बैंक की आवश्यकताओं को सीमित करें

1. "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) दस्तावेज और ऐसी अन्य शर्तें, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा या लागू कानून (कानूनों) या बैंक द्वारा आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, आपका अनुपालन किया जाना है।
2. उचित रूप से हस्ताक्षरित/अधिकृत नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) ई-एनएसीएच जनादेश और पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी) की अपेक्षित संख्या, या स्थायी निर्देश पत्र (एसआई) या ईसीएस "शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक" के पक्ष में।

स्वीकृति पत्र के अनुसार नियम एवं शर्तें और ऋण समझौते/दस्तावेजों/प्रपत्रों/क्षतिपूर्ति/उपक्रम के अनुसार नियम एवं शर्तें बैंक द्वारा परिवर्तनों के अधीन हैं, जिनमें आरबीआई के किसी भी दिशानिर्देश/नियामक परिवर्तन/वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन शामिल हैं।

यदि आप जीएसटी के लिए इनपुट क्रेडिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी लेनदेन की शुरुआत से पहले बैंक को एक वैध जीएसटी नंबर प्रदान करना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि जीएसटी चालान केवल प्राथमिक आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा।

उल्लिखित सभी शुल्क और शुल्क जीएसटी को छोड़कर हैं और गैर-वापसी योग्य हैं। बैंक को आपके ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा से आवेदन के समय देय सभी अवैतनिक शुल्क, ऋण प्रसंस्करण, ऋण की अवधि के दौरान स्माइट शुल्क, विलंबित भुगतान के लिए अतिदेय शुल्क, सामग्री नियम एवं शर्तों का अनुपालन न करने के लिए अतिदेय शुल्क, संग्रह शुल्क आदि की वसूली/कटौती करने का अधिकार है।

मुख्य तथ्य कथन (केएफएस)

मुख्य तथ्य कथन		
क्र.सं.	व्यक्तियों	ब्यौरा

1.	ग्राहक का नाम				
2.	ऋण प्रस्ताव/खातासंख्या/सीआईएफ				
3.	ऋण का प्रकार				
4.	संवितरण अनुसूची 1.) चरणों में संवितरण या 100% अग्रिम				
5.	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)				
6.	शुद्ध वितरित राशि				
7.	ऋण अवधि (महीनों में)				
8.	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)				
9.	स्थापना विवरण				
किस्त का प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई (₹)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद (ईएमआई शुरू होने की तिथि)		
*ईपीआई की गणना एक महीने में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाएगी					
10.	ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)		फिक्स्ड प्रति वर्ष		
11.	ब्याज की फ्लोटिंग दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी				
संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) $R = (B) + (S)$	आवधिकता रीसेट करें (महीने)	'आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन, 'बी' में परिवर्तन के लिए संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव
12.	आरई (ए) को देय शुल्क/शुल्क				
		आरई (ए) को देय		आरई (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
		एक बार /आवर्ती	राशि (रुपये में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो	एक बार /आवर्ती	राशि (रुपये में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो
I)	प्रोसेसिंग फीस				
II)	दस्तावेज़ीकरण शुल्क				
III)	बीमा शुल्क				
13.	आकस्मिक शुल्क का विवरण (रु. या % में, जैसा लागू हो)				
I)	अतिदेय शुल्क, यदि कोई हो, देरी से भुगतान के मामले में			अतिदेय राशि पर 12.0% प्रति वर्ष	
II)	स्टॉप शुल्क शुल्क				
III)	फौजदारी शुल्क, यदि लागू हो				
IV)	प्रकाशन शुल्क				
V)	नीलामी शुल्क				
VI)	कानूनी नोटिस शुल्क				
VII)	कोई अन्य शुल्क (बाउंस शुल्क)				
अन्य गुणात्मक जानकारी					
1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड				
2	ऋण समझौते का खंड जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देता है				
3	नोडल शिकायत का फोन नंबर और ईमेल आईडी				
4	चाहे ऋण हो, या भविष्य में, अन्य आरई या प्रतिभूतिकरण में हस्तांतरण के अधीन हो (हां/नहीं)				
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:				

मूल आरई का नाम, इसके वित्त पोषण अनुपात के साथ	आरई के साथ भागीदार का नाम इसके वित्त पोषण का अनुपात	मिश्रित ब्याज दर
6	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं	
i) संशोधित आरई के बोर्ड के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि पॉलिसी, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण की पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा		
ii) वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण		

एपीआर गणना

क्र. नं.	प्राचल	ब्यौरा
1.	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)	
2.	ऋण अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में)	
a)	नहीं। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?	
b)	प्रत्येक ईपीआई की ईपीआई राशि (रुपये में) और संख्या का प्रकार। ईपीआई की संख्या	
c)	नहीं। पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, यदि कोई हो,	
d)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
3.	ब्याज दर प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)	
4.	ब्याज दर	
5.	ऋण अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में)	
6.	देय शुल्क/शुल्क (रुपये में)	
a.	आरई के लिए देय	
b.	आरई के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
7.	शुद्ध वितरित राशि	
8.	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	
9.	वार्षिक प्रतिशत दर - प्रभावी वार्षिक ब्याज दर	
10.	नियम और शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	
11.	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	

પુનર્ભુગતાન અનુસૂચી

[illegible]

(यह एक अस्थायी पुनर्भुगतान अनुसूची है)

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

(.....) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मैं/हम एतद्वारा केएफएस (उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता) सहित स्वीकृति पत्र में टी एंड सी की अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं

ब्योरा	पूरा नाम	दस्तखत देखिए।
कर्जदार		
सह-उधारकर्ता - 1		
सह-उधारकर्ता - 2		

सामान्य नियम और शर्तें

- कृपया स्वीकृति पत्र में "क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल" और ऋण समझौते में "डिफॉल्ट की घटना" को ध्यान से देखें।
- स्वीकृति पत्र के अनुसार सभी टी एंड सी "सामग्री" हैं, ऋण समझौते (ऑ)/दस्तावेजों/प्रपत्रों/क्षतिपूर्ति/अंडरटेकिंग, जैसा भी लागू हो, "सामग्री" हैं और टी एंड सी का गैर-अनुपालन आपके द्वारा "डिफॉल्ट की घटना" के रूप में माना जाएगा, जो अन्य बातों के साथ-साथ "अतिदेय शुल्क", संग्रह और वसूली शुल्क और ऋण/क्रेडिट सुविधाओं पर क्रेडिट जोखिम प्रीमियम में वृद्धि को आकर्षित कर सकता है। बैंक कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर सकता है।
- बैंक को ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा के संचालन की निरंतर आधार पर समीक्षा करने और आपसे कुल बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ करने का अधिकार है।
- यदि आपको किसी भी कारण से अतिरिक्त ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा की आवश्यकता है, तो बैंक अतिरिक्त ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा आवश्यकताओं के लिए आपकी आवश्यकता को मंजूरी देने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं है।
- यदि ब्याज मासिक आराम के साथ "दैनिक आधार" पर लिया जाएगा। जब भी देय हो, समय पर, बिना किसी देरी के, आपको मूलधन, ब्याज और सेवा शुल्क, ईएमआई, दैनिक/मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/द्वि-साप्ताहिक किस्त का भुगतान करना होगा, ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा चुकानी होंगी और पुनर्भुगतान अनुसूची/शर्तों के अनुसार ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा के संबंध में अपने सभी दायित्वों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना होगा। बिना किसी देरी या देरी के
- आपके द्वारा बैंक को किए गए सभी भुगतान बिना किसी कटौती या सेट ऑफ या प्रतिदावे के किए जाएंगे।
- आप तुरंत और बिना किसी देरी के बैंक को घर, निवास या कार्यालय या व्यवसाय के स्थान या कारखाने या दुकान या गोदाम या संपर्क नंबर के पते में बदलाव के बारे में सूचित करेंगे।
- आपको बैंक से ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा प्राप्त करने से पहले/दौरान या बाद में किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान से आपके द्वारा लिए गए किसी भी ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा के बारे में बैंक को सूचित करना आवश्यक है।
- आप पुष्टि करते हैं कि आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी (मौखिक या लिखित रूप में)/कथन/दस्तावेज सभी मामलों में सत्य और सही हैं। यदि आपके या आपके प्रतिनिधि या आपके एजेंट या आपके सह-उधारकर्ता, फर्म, कंपनी, भागीदारों, प्रमोटरों, निदेशकों या गारंटर्स द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी को रोका या छुपाया जाता है, छुपाया जाता है या ऐसी कोई जानकारी/दस्तावेज भ्रामक, गलत या असत्य पाए जाते हैं, जिसके आधार पर बैंक द्वारा ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा स्वीकृत की गई थी, तो बैंक को मंजूरी देने का अधिकार है। अपने विवेकाधिकार पर किसी भी समय, बैंक को आंशिक रूप से या पूरी तरह से मंजूरी को बदलने, कम करने, वापस लेने, रद्द करने या निलंबित करने या ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा को वापस लेने का अधिकार है, यदि अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की राय में:
 - स्वीकृति पत्र के किसी भी नियम और शर्तों का अनुपालन न करना;
 - वित्तीय स्थिति में कोई प्रतिकूल परिवर्तन या प्रबंधन संरचना या इक्विटी संरचना में परिवर्तन या आवश्यक दस्तावेज जमा न करना या कानूनी कार्यवाही या मुकदमेबाजी या प्रतिभूति/संपार्श्विक मूल्य में गिरावट
 - बैंक द्वारा स्वीकृत प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए निधियों का दुर्विनियोजन या निधियों का उपयोग या ऐसी कोई घटना जिससे आपको स्वीकृत ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा या बैंक के ध्यान में आई किसी अन्य जानकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
- बैंक अपने विवेकाधिकार पर और बिना किसी दायित्व के, ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा से आपके द्वारा जारी किए गए चेक/भुगतानों का सम्मान करने से इनकार कर सकता है, यदि बैंक की राय में चेक/भुगतान बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।
- आप स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग "उद्देश्य"/"अंतिम उपयोग" के अलावा किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं किया जाएगा, जिसके लिए ऋण/ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं।
- बैंक को आंशिक रूप से या पूरी तरह से या पूरी तरह से मना करने, अस्वीकार करने, बदलने, कम करने, रोकने, वापस लेने, रद्द करने या निलंबित करने, किसी भी आगे के संवितरण को अस्वीकार करने/अस्वीकार करने, या संपूर्ण ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा को वापस लेने का अधिकार है। इसके अलावा, बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ, आपके द्वारा बैंक को देय कुल बकाया राशि की वसूली के लिए आपके खिलाफ संग्रह/वसूली/कानूनी कार्रवाई शुरू करने, गिरवी रखी गई प्रतिभूति/गिरवी रखी गई/गिरवी रखी गई/प्रभारित/अनुमानित को बेचने और निपटाने का अधिकार है। आपके द्वारा देय कुल बकाया राशि की वसूली के लिए, बैंक को कोई अन्य कार्रवाई करने का अधिकार है जो बैंक के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है। बैंक द्वारा ऐसी सभी कार्रवाइयों के लिए संग्रह/वसूली/कानूनी शुल्क आपके द्वारा देय होंगे।
- नीचे दिए गए कारणों के कारण "क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल" में परिवर्तन/गिरावट (जहां भी लागू हो) सहित सीमित नहीं है:
 - पुनर्भुगतान में देरी
 - सीमा से अधिक के नियमितीकरण में देरी,
 - चेक की वापसी/एनएसीएच/ईसीएस (जावक/आवक),

- सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए दस्तावेज जमा करने में देरी,
 - किसी अन्य ऋण/ऋण सुविधाओं/बैंक या किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों के साथ सीमा में "क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल" में गिरावट उदाहरण एनपीए
 - बीमा नहीं करना या बीमा के तहत सुरक्षा/संपार्श्विक
 - आपका नाम किसी भी नकारात्मक सूची (आरबीआई, ईसीजीसी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), ईडी आदि) में दिखाई दे रहा है।
 - ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा का उपयोग जिस प्रयोजन के लिए इसे स्वीकृत किया गया था (उदाहरण के लिए धन का दुरुपयोग)
 - आपके/सह-आवेदकों/गारंटर्स द्वारा अतिरिक्त ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है और बैंक को सूचित नहीं किया गया है।
14. आप पुष्टि करते हैं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही लंबित नहीं है और आरबीआई की चेतावनी सूची/डिफॉल्टर सूची/नकारात्मक सूची में नहीं है और किसी भी एलईएस द्वारा जांच के अधीन नहीं है।
 15. आप पुष्टि करते हैं कि ऋण की किस्तों के किसी भी भुगतान के लिए, आप केवल शिवाली बैंक के अधिकृत व्यक्तियों या बैंक द्वारा नियुक्त बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट के अधिकृत अधिकारियों से संपर्क करेंगे।
 16. आप स्वीकार करते हैं कि Customer ID हमारे साथ आपके सभी खातों के लिए द्वितीय है। आपका खाता आपको आपके द्वारा चुने गए खाता प्रकार के आधार पर कई प्रकार की विशेष सेवाएं प्रदान करता है। हमारे उत्पादों और सेवाओं, नियमों और शर्तों और शुल्कों की अनुसूची के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट पर स्थानीय भाषा में उपलब्ध है www.shivalikbank.com।
 17. आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि आप बैंक को पूर्ण सहयोग देंगे और बैंक को आपके व्यवसाय के स्थान आदि का निरीक्षण/लेखा परीक्षा करने का अधिकार है।
 18. आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि आपके द्वारा प्राप्त ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत तनावग्रस्त परिसंपत्ति पर आरबीआई के निर्देशों द्वारा शासित होती है, विशेष रूप से निर्धारित ऋण सुविधा समझौता।
 19. आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि यदि आप किसी भी कारण से ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा की मंजूरी को रद्द करने का अनुरोध करते हैं या यदि बैंक किसी भी नियम और शर्तों का पालन न करने के लिए ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा को रद्द कर देता है, तो आप रद्दीकरण शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और किसी भी अन्य शुल्क के लिए उत्तरदायी होंगे जो बैंक ने मंजूरी देने में खर्च किया है। यदि आपके द्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो बैंक को आपसे इसे वसूलने का अधिकार है।
 20. बीमा पॉलिसी की खरीद (यदि लागू हो) आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि:
 - बैंक के माध्यम से खरीदी गई या खरीदी जाने वाली बीमा पॉलिसी, यदि कोई हो, पूरी तरह से आपकी स्वैच्छिक कार्रवाई होगी और यह बैंक से किसी भी ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा का लाभ उठाने से जुड़ी नहीं है, आपके लिए बैंक द्वारा प्रस्तावित बीमा कंपनी से बीमा प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में बैंक की कोई भूमिका या जोखिम भागीदारी नहीं है और इसलिए, बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं होगा।
 - बैंक आपके/सह-आवेदकों द्वारा देय लागू बीमा प्रीमियम (यानी स्वीकृत, और स्वीकृत बीमा प्रीमियम राशि) को ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा से काट लेगा, और इसका भुगतान आपकी ओर से बीमा कंपनी को किया जाएगा। बीमा लाभ केवल बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी का अनुमोदन और जारी करना। बीमा पॉलिसी के अनुमोदन और जारी करने में बैंक की कोई भूमिका नहीं है।
 - बैंक एक "पहला नुकसान प्राप्तकर्ता" है और बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी की आय पर पहला दावा करता है। बैंक को बीमा कंपनी से प्राप्त आय से उपरोक्त ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा के तहत आपके द्वारा देय राशि को विनियोजित करने का अधिकार होगा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने या पॉलिसी के तहत निर्धारित किसी भी घटना के होने की स्थिति में और शेष राशि, यदि कोई हो, बैंक की कुल देय राशि का विनियोग करने के बाद, बीमा पॉलिसी के तहत लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।
 - उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पशु ऋण के तहत बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी मवेशी एक व्यापक बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए गए हैं। इस पॉलिसी में मृत्यु, चोट, बीमारी, चोरी और अन्य निर्दिष्ट खतरों सहित जोखिमों को कवर किया जाना चाहिए, लेकिन इन तक सीमित नहीं है जो मवेशियों को प्रभावित कर सकते हैं।
 - ऋण अवधि की अवधि के लिए वैध रहने के लिए पॉलिसी को समय-समय पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
 - उधारकर्ता बैंक के पक्ष में बीमा पॉलिसी सौपेगा, जिससे बैंक प्राथमिक लाभार्थी बन जाएगा। किसी भी दावे की स्थिति में, आय को पहले बकाया ऋण शेष राशि के लिए लागू किया जाएगा।
 - उधारकर्ता को संवितरण के 45 दिनों के भीतर और प्रत्येक नवीनीकरण पर बैंक को पॉलिसी दस्तावेज और नवीनीकरण रसीदों की एक प्रति सहित बीमा का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 - बीमित मवेशियों के नुकसान, चोट या मृत्यु की स्थिति में, उधारकर्ता को तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए और बीमा कंपनी के साथ दावा दायर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। प्राप्त किसी भी बीमा आय का उपयोग बकाया ऋण का निपटान करने के लिए या बैंक द्वारा निर्देशित के रूप में किया जाएगा।
 - मवेशियों के लिए वैध बीमा कवरेज का बीमा करने या बनाए रखने में विफलता ऋण समझौते के तहत एक डिफॉल्ट का गठन करेगी, जो बैंक को ऋण शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करेगी।
 - बीमा पॉलिसी से संबंधित कोई भी शिकायत, दावा, प्रश्न, शिकायत, या मुद्दा पूरी तरह से संबंधित बीमा कंपनी के विवेक पर होगा, और बीमा कंपनी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
 21. आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि मूलधन/ब्याज/शुल्क/प्रभार के भुगतान के लिए या ई-एनएसीएच/एनएसीएच/एसआई/ईसीएस/पीडीसी जमा करने के लिए नोटिस भेजने में बैंक की विफलता किसी भी बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण के रूप में काम नहीं करेगी।
 22. "क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल" में परिवर्तन/गिरावट के मामले में, जब तक बैंक के साथ किसी भी ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा (आपकी सहयोगी कंपनियों, सहायक कंपनियों आदि सहित) के तहत आपसे बैंक को कोई भी पैसा देय है, तब तक बैंक के पास ग्रहणाधिकार/प्रभार और आपके क्रेडिट बैलेंस, नकद, जमा आदि से वसूली/सेट ऑफ करने का अधिकार है।
- आप सहमत हैं कि बैंक को आपकी अनुमति/सहमति प्राप्त करने या आपको कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

23. बैंक द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफलता, या इसके तहत या किसी अन्य समझौते (समझौते) / दस्तावेजों / प्रपत्रों / क्षतिपूर्तिओं / उपक्रम आदि के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में देरी बैंक के लिए अपने अधिकार को माफ करने के समान नहीं होगा और न ही कोई एकल या आंशिक प्रयोग उस अधिकार के किसी भी भविष्य के प्रयोग को रोकेगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मैं/हम केएफएस (उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता) सहित स्वीकृति पत्र में टी एंड सी की अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं

ब्योरा	पूरा नाम	दस्तखत देखिए।
कर्जदार		
सह-उधारकर्ता - 1		
सह-उधारकर्ता- 2		

ऋण समझौता (असुरक्षित व्यक्तिगत व्यवसाय ऋण)

यह ऋण समझौता ("समझौता") अनुसूची-II में उल्लिखित तारीख और स्थान पर किया जाता है और दर्ज किया जाता है:

उधारकर्ता (ओं), जिसका विवरण अनुसूची-II में दिया गया है, और इसके बाद "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसका अर्थ और शामिल किया जाएगा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उनके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों या, इसके उत्तराधिकारियों की आवश्यकता होती है या अनुमति नहीं दी जाती है, और एक भाग के अनुमत असाइनमेंट की अनुमति दी जाती है;

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 (सीआईएन: U65900DL2020PLC366027) के तहत पंजीकृत और बैंकिंग गतिविधियों को करने के लिए आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त और सैल्फोन ऑरम जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली 110025, 110025 कॉर्पोरेट/प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल पर, एड इंडिया टॉवर, प्लॉट नंबर ए 6 ए, सेक्टर 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201303 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) "शिवालिक" नहीं तो "बैंक", कौन सी अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका मतलब होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी, असाइन और सहयोगी कंपनियां शामिल होंगी) पहले भाग का

'उधारकर्ता' और 'बैंक' को एक साथ 'पक्षकार' और व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में संदर्भित किया जाएगा। जबकि:

1. बैंक बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है।
2. उधारकर्ता ने बैंक से अनुसूची-II में पूरी तरह से वर्णित उद्देश्य के लिए ऋण/ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है।
3. बैंक उधारकर्ता के अनुरोध पर सभी या कुछ या किसी भी ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है, अन्य बातों के साथ-साथ इस करार में निहित स्वीकृति पत्र और निबंधन एवं शर्तों के अधधीन और प्रतिभूति दस्तावेज (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) या उनमें से किसी भी और ऐसे अन्य निबंधन और शर्तों के अधधीन जो बैंक द्वारा समय-समय पर आवश्यक समझी जाएं और बैंक द्वारा उधारकर्ता को समय-समय पर अधिसूचित की जाएं।

उधारकर्ता को ऋण/ऋण सुविधा प्रदान करने वाले बैंक के विचार में, उधारकर्ता एतद्वारा उन नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है, रिकॉर्ड करता है और पुष्टि करता है जिन पर यह सुविधा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:

1. बैंक, अपने विवेक से ऋण/ऋण सुविधाओं, ब्याज, और पुनर्भुगतान की शर्तों के बारे में अधिक विशेष रूप से अनुसूची-II में उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा गया है, उधारकर्ता के प्रस्ताव/आवेदन पत्र में निर्धारित उद्देश्य (ओं) के लिए, जिसे इन उपहारों के आधार और हिस्से का गठन करने के लिए माना जाएगा। उधारकर्ता एतद्वारा प्रत्येक कथन, अभ्यावेदन की शुद्धता की गारंटी देता है और उधारकर्ता के प्रस्ताव/आवेदन पत्र को पूरा करने का वचन देता है, जैसा कि पूरी तरह से निर्धारित किया गया है, साथ ही ऐसी घटना के तुरंत बाद किसी भी विचलन या संशोधन के बारे में बैंक को लिखित रूप में सूचित करने का वचन देता है। बैंक द्वारा अभी या इसके बाद दिए गए ऋण (इसके बाद "उक्त सुविधाओं/ऋण सुविधा/ऋण" के रूप में संदर्भित) द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) द्वारा उधारकर्ता के प्रस्ताव/आवेदन पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं/उपयोग किया जाएगा।
2. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि दिया गया और दिए जाने या जारी रखने के लिए सहमत ऋण स्वीकृति पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा, जैसा कि इसमें भी शामिल है।
3.% ब्याज एक निश्चित दर पर लिया जाएगा प्रति वर्ष और दैनिक पर गणना की गई मासिक रूप से ऋण राशि का शेष रकम। ब्याज दर ऋण की अवधि के लिए निर्धारित की जाती है और 3 साल की अवधि के लिए तय की जाती है और ऋण अवधि के दौरान 3 साल की प्रत्येक अवधि के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। सुविधा पर ब्याज दर पहले संवितरण की तारीख से सुविधा की पूरी अवधि के लिए तय रहेगी।
4. ब्याज और अन्य सभी शुल्क, लागत, शुल्क, खर्च, फौजदारी शुल्क (यदि कोई हो) पर किसी भी ब्याज सहित दैनिक आधार पर अर्जित होगा, 365 दिनों का एक वर्ष मानते हुए
5. ऋण, ब्याज, डिफॉल्ट ब्याज, कोई अन्य शुल्क, देय राशि और धन, लागत और व्यय प्रतिपूर्ति योग्य, समय-समय पर बकाया के रूप में और उनमें से कोई देय है या नहीं, इसके बाद सामूहिक रूप से "बकाया शेष" के रूप में संदर्भित किया जाता है। उधारकर्ता ऋण पर ब्याज, अवैतनिक देय ब्याज और अन्य सभी बकाया प्रभारों और धन (डिफॉल्ट ब्याज को छोड़कर) का भुगतान करेगा, संवितरण की तारीख से बकाया दैनिक शेष राशि पर, अनुसूची में निर्दिष्ट ब्याज की दर पर। उधारकर्ता समय-समय पर लागू सभी ब्याज कर, यदि कोई हो, का भुगतान भी करेगा और वहन करेगा। वही उधारकर्ता ऋण का पुनर्भुगतान करेगा और समय-समय पर देय ब्याज का भुगतान समान मासिक किस्तों (ईएमआई)/समान दैनिक किस्तों के माध्यम से करेगा जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है या जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है (समय अनुबंध का सार है)। उधारकर्ता ने ईएमआई/समान दैनिक किस्तों की गणना करने की बैंक की पद्धति के साथ-साथ मूलधन और ब्याज में उसके विनियोग का भी अध्ययन किया है, समझा है और सहमति व्यक्त की है। ईएमआई/समान दैनिक किस्तों सहित उधारकर्ता द्वारा सभी धन का भुगतान संबंधित नियत तिथियों को या उससे पहले, ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जिसकी बैंक को आवश्यकता हो सकती है, बिना किसी सेट-ऑफ या प्रतिदावे या रोक या कटौती के (कानून द्वारा आवश्यक के रूप में छोड़कर, जिस स्थिति में उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय राशि को उस राशि तक बढ़ा दिया जाएगा जो इस तरह की कटौती करने या रोकने के बाद मूल देय राशि के बराबर होती है (ख) बैंक को समय-समय पर यथा स्वीकार्य सुरक्षा चेक, स्थायी अनुदेश (एसआई)/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस/एनएसीएच अनुदेश/अधिदेशित अन्य मोड/लिखित सहित एक या अधिक तरीकों और साधनों के माध्यम से कोई रोक या कटौती की आवश्यकता नहीं थी) के रूप में राशि। यदि कोई देय तिथि बैंक के गैर-व्यावसायिक दिन पर आती है, तो भुगतान उधारकर्ता द्वारा बैंक के तुरंत पूर्ववर्ती व्यावसायिक दिन पर किया जाएगा। चेक/अन्य लिखत के मामले में, भुगतान उधारकर्ता द्वारा केवल उस समय किया गया माना जाएगा जब राशि जमा की जाती है और बैंक के खाते में पूरी तरह से वसूली की जाती है, भले ही लिखत की तारीख या प्राप्ति या लिखत की प्रस्तुति का समय कुछ भी हो। किसी भी चूक के मामले में, उधारकर्ता बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूची/आवेदन में उल्लिखित दर पर या बैंक द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दर पर अतिरिक्त/डिफॉल्ट ब्याज का भुगतान करेगा, जब तक कि पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है/चूक का इलाज नहीं हो जाता है। यह दायित्व किसी भी चूक के औचित्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।
6. उधारकर्ता बैंक को अनुसूची/आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रभारों, शुल्कों आदि का भुगतान करेगा, ऐसे समय के भीतर या ऐसी घटनाओं के घटित होने पर जैसा कि निर्दिष्ट किया गया

और यदि निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो बैंक द्वारा मांग किए जाने पर तुरंत। इस दस्तावेज/अन्य दस्तावेजों/इसके अनुसरण में किसी भी लेन-देन के संबंध में सभी न्यायालयों में अन्य सभी वर्तमान और भविष्य की लागत और व्यय, कर (समय-समय पर लागू होते हैं), स्टाम्प शुल्क, चाहे लाभार्थी कोई भी हो, बैंक द्वारा किसी भी कानूनी कार्यवाहियों/कार्रवाई के निर्माण, प्रवर्तन, सुरक्षा के संरक्षण, वसूली, आरंभ/बचाव / आगे बढ़ाने सहित पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा वहन और देय होगा। ऐसी किसी भी राशि के मामले में यदि बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है या किया जाता है, तो उधारकर्ता बैंक को पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. उधारकर्ता समझता है और स्वीकार करता है कि यह ऋण सुविधा शिवालिक बैंक द्वारा अपने बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट के माध्यम से स्वीकृत की गई है और बैंक अपने व्यवसाय संवाददाता की चूक और कमीशन के सभी कार्यों के लिए उधारकर्ता (ओं) के प्रति उत्तरदायी है।
8. बैंक, अपने विवेक से और उधारकर्ता के अनुरोध पर, उधारकर्ता द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के बीमा प्रीमियम के लिए उधारकर्ता को वित्तपोषित भी कर सकता है, जो राशि ऋण के तहत मूल राशि में जोड़ी जाएगी और सभी नियम और शर्तें अतिरिक्त रूप से लागू होंगी। उधारकर्ता बीमा कंपनी को ऐसी किसी भी बीमा पॉलिसी में बैंक को हानि प्राप्तकर्ता के रूप में जोड़ने का निर्देश देगा।
9. उधारकर्ता बैंक, उसके निदेशकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, एजेंटों, सलाहकारों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दावे, क्षति, हानि, लागत और व्यय के प्रतिनिधियों को किसी भी कार्य, चूक, उल्लंघन, गलत बयानी, धोखाधड़ी, गलत बयानी या किसी भी मुकदमे के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा किए गए डिफॉल्ट से उत्पन्न होने वाले वकीलों की फीस सहित हानिरहित बैंक, उसके निदेशकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, एजेंटों, सलाहकारों, प्रतिनिधियों को अच्छा करेगा, और बचाएगा, और धारण करेगा, जांच, आदि, किसी भी कारण से कोई अन्य मामला।
10. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि बैंक आवेदन पत्र, फोटोग्राफ, जानकारी और उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख सकता है। बैंक भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो (सिबिल) और/या किसी अन्य सरकारी/नियामक/सांविधिक या निजी एजेंसी/संस्था, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की अन्य शाखाओं/सहायक कंपनियों/सहयोगियों/रेंटिंग एजेंसियों को व्यक्तिगत जानकारी, दस्तावेजों के संबंध में विवरण, ऋण, चूक, प्रतिभूति, उधारकर्ता के दायित्वों सहित उधारकर्ता से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण करने का हकदार होगा। सेवा प्रदाता, अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान, कोई तृतीय पक्ष, कोई भी समनुदेशित/संभावित समनुदेशित या अंतःस्थापित, जिन्हें सूचना की आवश्यकता हो सकती है और वे सूचना को संसाधित कर सकते हैं, ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम के माध्यम से प्रकाशित कर सकते हैं जिन्हें प्रकाशक/बैंक/आरबीआई द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है, जिसमें समय-समय पर विलफुल डिफॉल्टर की सूची के हिस्से के रूप में नाम प्रकाशित करना शामिल है। के रूप में भी केवाईसी सूचना सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण, या अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। बैंक ट्रेकर रिकॉर्ड, ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए या उधारकर्ता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए या उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के उद्देश्य से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य बैंकों/वित्त संस्थाओं/क्रेडिट ब्यूरो, उधारकर्ता के नियोक्ता/परिवार के सदस्यों, उधारकर्ता से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है।
11. बैंक द्वारा दिए गए या किए गए किसी भी नोटिस, अनुमोदन, निर्देश, मांग और अन्य संचार को विधिवत दिया गया माना जाएगा और यदि कूरियर, सामान्य डाक, पंजीकृत डाक, प्रतिकृति, इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यक्तिगत वितरण, एसएमएस या उधारकर्ता के पते, फोन/मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर या ईमेल पर प्री-पेड पंजीकृत मेल द्वारा भेजा जाता है जैसा कि आवेदन में दिया गया है (या उस पते पर जिस पर बैंक की पावती विधिवत प्राप्त की गई है, जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है) और ऐसी सूचना और सेवाकूरियर, सामान्य पोस्ट, पंजीकृत पोस्ट के मामले में पोस्टिंग की तारीख के बाद तीसरे कार्य दिवस को प्रभावी माना जाएगा, डिलीवरी के समय यदि व्यक्तिगत डिलीवरी द्वारा दिया जाता है, तो ट्रांसमिशन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि प्रतिकृति द्वारा दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या एसएमएस भेजने पर इलेक्ट्रॉनिक मेल या एसएमएस भेजता है। उधारकर्ता आवेदन में दिए गए डाक पते, ईमेल आईडी, फोन और मोबाइल नंबर (नंबरों) में किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंक को हर समय लिखित रूप में सूचित करने और ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए बैंक को दी गई सूचना पर बैंक की लिखित पावती प्राप्त करने का वचन देता है।
12. उधारकर्ता एतद्वारा इस बात से सहमत है कि यहां या किसी अन्य दस्तावेजों में निहित किसी भी बात के बावजूद, उक्त सुविधाओं के तहत देय संपूर्ण शेष, यदि बैंक द्वारा ऐसा तय किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसी भी घटना ("डिफॉल्ट की घटना") के घटित होने पर तुरंत देय और देय हो जाएगा:
 - मूलधन या ब्याज की कोई किस्त अवैतनिक और नियत तारीख के बाद एक महीने की अवधि के लिए बकाया है, चाहे मांग की गई हो या नहीं;
 - उधारकर्ता जो यहां या उधारकर्ता के प्रस्ताव/आवेदन पत्र या किसी अन्य दस्तावेज में निहित किसी भी शर्त के प्रदर्शन या पालन में कोई उल्लंघन या चूक करता है।
 - यदि उधारकर्ता द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए कोई भी अभ्यावेदन या दस्तावेज असत्य या गलत पाए जाते हैं;
 - अपने लेनदारों के साथ किसी भी व्यवस्था या संरचना में प्रवेश करने या दिवालियापन का कोई कार्य करने पर;
 - उधारकर्ता के खिलाफ कोई निष्पादन या अन्य समान प्रक्रिया लगाई जा रही है या लागू की जा रही है;
 - यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो बैंक की राय में पूर्वाग्रहपूर्ण है या खतरे में डालती है या सुरक्षा को पूर्वाग्रह या खतरे में डालने की संभावना है या जो उक्त सुविधाओं के तहत किसी भी राशि को चुकाने की उधारकर्ता की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है;
 - यदि उधारकर्ता धन का दुरुपयोग करता है/अन्यत्र उस प्रयोजन के लिए ऋण स्वीकृत करता है जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था।
 - उधारकर्ता (ओं), या उनमें से किसी एक की मृत्यु।
 - उधारकर्ता के पास है, या एक उचित आशंका है कि उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) ने स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से किसी भी दिवालियापन या दिवालियापन कानून के तहत कार्यवाही का विषय बन गया है या बन गया है, या दिवालिया या दिवालिया हो जाता है या यदि उधारकर्ता ने दिवालियापन या दिवालियापन के लिए कोई कार्रवाई की है या पीड़ित है या यदि एक रिसीवर को नियुक्त किया गया है या उधारकर्ता की संपत्तियों के सभी या किसी भी हिस्से पर नियुक्त करने की अनुमति दी गई है या यदि परिसंपत्तियों या उसके किसी हिस्से पर कोई कुर्की या प्रतिबंध लगाया गया है या उधारकर्ता से किसी भी बकाया राशि की वसूली के लिए प्रमाणपत्र की कार्यवाही की गई है या शुरू की गई है या यदि उधारकर्ता (ओं) के खिलाफ एक या अधिक निर्णय या डिक्री प्रदान की गई है या दर्ज की गई है।

उधारकर्ता/उधारकर्ता किसी भी चूक के बारे में जागरूक होने पर बैंक को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा और कोई भी घटना जो (या, नोटिस देने के साथ, समय की समाप्ति, भौतिकता का निर्धारण या अन्य शर्तों की संतुष्टि के साथ, डिफॉल्ट की घटना का गठन करने की संभावना होगी) और इसे दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदम, यदि कोई हो, का गठन करेगा।

उपरोक्त में से कोई भी घटना हुई है या नहीं, इसका निर्णय पूरी तरह से बैंक का है और उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) के लिए निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बशर्त बैंक अपने विवेक से उपरोक्त में से किसी भी घटना के घटित होने के बावजूद अपने अधिकारों को लागू करने से परहेज कर सकता है और यह भी प्रदान करेगा कि इसके तहत या अन्य सुरक्षा दस्तावेजों के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में कोई विफलता या देरी या ऐसे अधिकार, शक्ति का कोई एकल या आंशिक प्रयोग, या विशेषाधिकार बैंक को इसके किसी भी आगे के अभ्यास को बाधित/बुझाने या रोकेंगे या किसी अन्य शक्ति या अधिकार या विशेषाधिकार की छूट या प्रयोग के रूप में संचालित नहीं करेगा। बैंक के अधिकार और उपाय केवल संचयी हैं और अनन्य नहीं हैं।

13. इस समझौते में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, ऋण की निरंतरता बैंक के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर होगी और उधारकर्ता की बकाया राशि उधारकर्ता द्वारा मांग पर बैंक को देय होगी। बैंक किसी भी समय अपने विवेकाधिकार में और बिना कोई कारण बताए उधारकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है और उसके बाद उधारकर्ता बिना किसी देरी या विलंब के बैंक को पूरी बकाया राशि का भुगतान करेगा।
14. उधारकर्ता एतद्वारा इस बात से सहमत हैं कि बैंक द्वारा उसे दिए गए ऋण अग्रिमों की पूर्व शर्त के रूप में, ऋण/अग्रिमों के पुनर्भुगतान में या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में या नियत तिथि पर ऋण की किसी भी सहमत किस्त में से किसी भी समय या किसी भी समय आहरण शक्ति के भीतर बकाया राशि को बनाए रखने में चूक के मामले में, बैंक के पास इस तरह से और ऐसे माध्यम से डिफॉल्ट के रूप में उधारकर्ता (नामों) का खुलासा करने या प्रकाशित करने का एक अयोग्य अधिकार होगा जैसा कि बैंक अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे और उधारकर्ता अपने खाते में गोपनीयता के किसी भी अधिकार का दावा नहीं करेगा।
15. उधारकर्ता एतद्वारा पुष्टि करता है, घोषित करता है और सहमत होता है कि उधारकर्ताओं की देयता के लिए, बैंक के पास सेट ऑफ का सर्वोपरि अधिकार होगा और कानून के तहत बैंक के सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग करते हुए, बैंक के पास सभी पैसों, खातों, जमाओं पर ग्रहणाधिकार का सर्वोपरि अधिकार होगा, जो उधारकर्ता के क्रेडिट के लिए खड़ा होगा (चाहे अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों) के साथ जो किसी भी समय किसी भी कारण या उद्देश्य के लिए बैंक की किसी भी शाखा के पास या उसके कब्जे में या नियंत्रण में हो सकता है।
16. समझौते या लेन-देन दस्तावेजों में निहित किसी भी बात के बावजूद, और आवेदन पत्र में उधारकर्ता (ओं) द्वारा चुने गए भुगतान के तरीके के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा सुविधा से संबंधित नियत तारीख को एक या अधिक किस्तों के भुगतान में किसी भी चूक पर या शिवालिक बैंक द्वारा नियत तारीख को किस्तों की वसूली न होने पर, शिवालिक बैंक, समझौते के तहत अपने अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना, सुविधा के संबंध में शिवालिक बैंक के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए चेक या सुरक्षा चेक, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने और/या फिर से प्रस्तुत करने का हकदार होगा। आवेदन पत्र में उधारकर्ता (ओं) द्वारा चुने गए भुगतान के तरीके पर ध्यान दिए बिना, शिवालिक बैंक जैसा भी उचित और आवश्यक समझे, किस्तों के भुगतान और/या संग्रह की आवश्यकता करने का हकदार होगा और अन्य सभी राशियों में उधारकर्ता/की बकाया राशियां शामिल हैं, जैसा कि आवेदन पत्र में व्यक्त किया गया है, या पोस्ट डेटेड चेक, यदि कोई हो, तो उधारकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (डेबिट) के माध्यम से स्वयं या इसके लिए अनुमत ऐसे अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो, इसके बजाय और इसके बदले में ऐसे चेक या पोस्ट डेटेड चेक, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने/प्रस्तुत करने के बदले में उधारकर्ता/उधारकर्ता द्वारा शिवालिक बैंक के पक्ष में जारी किए गए या किस्तों के भुगतान या पुनर्भुगतान के किसी अन्य तरीके या तरीके का उपयोग किया गया हो और उधारकर्ता/लोगों की बकाया राशि सहित अन्य सभी राशियां, बशर्त कि शिवालिक बैंक का ऐसा अधिकार किसी भी कारण से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (डेबिट) के माध्यम से किस्तों या किसी अन्य देय राशि को प्राप्त करने में किसी भी विफलता के मामले में, समझौते के तहत अपने अन्य अधिकारों (पोस्ट डेटेड चेक को फिर से प्रस्तुत करने के अधिकार सहित) के लिए प्रतिकूल होगा।
17. इस समझौते या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज के तहत बैंक को प्राप्त किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में कोई भी देरी या चूक ऐसे किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को बाधित नहीं करेगी और इसे किसी भी चूक में छूट या किसी भी चूक में कोई स्वीकृति नहीं माना जाएगा, और न ही किसी भी चूक या किसी भी चूक में उसके द्वारा किसी भी स्वीकृति के संबंध में बैंक की कार्यवाही या निष्क्रियता प्रभावित या खराब नहीं होगी किसी अन्य चूक के संबंध में बैंक का कोई अधिकार, शक्ति या उपाय।
18. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि बैंक, उधारकर्ता के संदर्भ या सूचना के बिना, पूरी तरह से हकदार होगा और किसी भी तीसरे पक्ष को बेचने और/या सौंपने/प्रतिभूतिकरण करने के लिए, जैसा कि बैंक निर्णय ले सकता है, इस ऋण के तहत बैंक को किसी भी तरह से ऋण और सभी बकाया हैं, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों पर जो बैंक निर्णय ले सकता है, जिसमें इस ऋण के तहत उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि के लिए डिफॉल्ट की स्थिति में, समनुदेशिती की ओर से उधारकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करना शामिल है। बैंक, यदि वह चाहता है, तो ऐसे समनुदेशिती को उधारकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने का अधिकार भी प्रदान कर सकता है। इस तरह की कोई भी बिक्री या असाइनमेंट उधारकर्ता को बाध्य करेगा और उधारकर्ता तीसरे पक्ष को बैंक के साथ संयुक्त रूप से अपने एकमात्र लेनदार के रूप में स्वीकार करेगा और ऐसी स्थिति में उधारकर्ता बैंक या ऐसे लेनदार को भुगतान करेगा या जैसा कि बैंक इस ऋण के तहत उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि को निर्देशित कर सकता है।
19. उधारकर्ता यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि यदि बैंक किसी तीसरे पक्ष को ऋण और सभी राशियां जो बकाया है और बैंक के कारण है, बेचता है/सौंपता है, तो इस तरह के असाइनमेंट में इस ऋण के तहत बैंक के किसी भी या सभी अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण और असाइनमेंट को शामिल किया जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हो सकते हैं, लेकिन ब्याज की दर निर्धारित करने के अधिकार तक सीमित नहीं है, ऋण पर लागू प्रधान उधार दर, पुनः मूल्य निर्धारण और पूर्व-भुगतान शुल्क, संग्रह प्रक्रिया और ऋण खाते के लिए अन्य सभी प्रासंगिक और आकस्मिक मामलों का निर्धारण करें। बैंक की ऐसी कोई भी बिक्री, समनुदेशन, ऋण का अंतरण, बकाया देय और अधिकार/दायित्व निश्चित रूप से उधारकर्ता को बाध्य करेगा।
20. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि बैंक, स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक या एक से अधिक तीसरे पक्ष को नियुक्त करने का हकदार होगा और उसके पास पूरी शक्ति और अधिकार होगा जैसा कि बैंक चुन सकता है और ऐसे तीसरे पक्ष को अपने सभी या किसी भी कार्य को सौंपने के लिए, ऋण के प्रशासन से संबंधित इस ऋण के तहत अधिकार और शक्तियां जिसमें बैंक की ओर से उधारकर्ता से पूर्व-मासिक चुकौती किस्तों, मासिक किस्तों और अन्य राशियों को इकट्ठा करने और प्राप्त करने के अधिकार और अधिकार शामिल हैं, जिसमें इस ऋण के तहत उधारकर्ता द्वारा देय सभी वैध कार्यों, कर्मा, मामलों और उससे जुड़ी चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने और नोटिस भेजने सहित उसके आकस्मिक कार्य करने और निष्पादित करने के लिए, उधारकर्ताओं से संपर्क करना, उधारकर्ता से नकद/चेक/ड्राफ्ट/जनादेश प्राप्त करना और उधारकर्ता को वैध और प्रभावी रसीदें और निर्वहन देना।

21. शिकायत निवारण

किसी भी शिकायत या शिकायत के लिए, उधारकर्ता ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से संपर्क कर सकता है, या बैंक की निकटतम शाखा में जा सकता है या शिकायत बॉक्स या शिकायत

फॉर्म का उपयोग कर सकता है। अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए शाखा। यदि शिकायतें अनसुलझी रहती हैं, तो इसे निम्नलिखित मैट्रिक्स के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है

स्तर 1: शाखा प्रबंधक / फोन बैंकिंग नंबर / ग्राहक सेवा केंद्र

निकटतम शाखा कार्यालय में शाखा प्रबंधक से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर **1800-202-5333** पर फोन बैंकिंग अधिकारी से संपर्क करें या **customercare@shivalikbank.com** को एक ईमेल भेजें

स्तर 2: नोडल अधिकारी

यदि उधारकर्ता शाखा/फोन बैंकिंग/ग्राहक सेवा केंद्र से प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या यदि 7 कार्य दिवसों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो उधारकर्ता नीचे दिए गए पते और संपर्क विवरण पर नोडल अधिकारी को कॉल या लिख सकता है:

नोडल अधिकारी	
नोडल अधिकारी का नाम:	जयत्री सिंह
	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
	दूसरी मंजिल, एड इंडिया टॉवर, प्लॉट नंबर ए-6ए, सेक्टर 125, नोएडा - 201303
संपर्क विस्तार से:	0120-4060011
ईमेल आईडी:	grievance@shivalikbank.com

स्तर 3 : प्रधान नोडल अधिकारी

यदि उधारकर्ता नोडल अधिकारी से प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या यदि आपको 7 कार्य दिवसों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो कृपया इसे नीचे दिए गए पते और संपर्क विवरण पर प्रधान नोडल अधिकारी को भेजें:

प्रधान नोडल अधिकारी	
नोडल अधिकारी का नाम:	रवि रत्नाकर सिंह
	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
	दूसरी मंजिल, एड इंडिया टॉवर, प्लॉट नंबर ए-6ए, सेक्टर 125, नोएडा - 201303
संपर्क विस्तार से:	0120-4060012
ईमेल आईडी:	pno@shivalikbank.com

बैंक के प्रधान नोडल अधिकारी 7 कार्य दिवसों के भीतर उधारकर्ताओं की संतुष्टि के लिए इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेंगे। यदि शिकायत की जांच के लिए और समय की आवश्यकता होती है, तो प्रतिक्रिया देने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता के बारे में बताते हुए शिकायत को स्वीकार किया जाएगा। एकीकृत लोकपाल के लिए वृद्धि: हम अपने सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहते हैं कि हमारा बैंक रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत कवर किया गया है। यदि आप बैंक द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या यदि आपकी शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो आप <https://cms.rbi.org.in> पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके एकीकृत लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं

एकीकृत लोकपाल के लिए वृद्धि: हम अपने सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहते हैं कि हमारा बैंक रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत कवर किया गया है। यदि आप बैंक द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या यदि आपकी शिकायत का निवारण अपनी शिकायत प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो आप <https://cms.rbi.org.in> पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके एकीकृत लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

चंडीगढ़ में स्थापित 'केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र'

(सीआरपीसी) को भी शिकायतें भौतिक मोड के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं

सीआरपीसी का पता: केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17,

चंडीगढ़ - 160017 ईमेल - टोल फ्री नंबर - 14448 के साथ आरबीआई संपर्क केंद्र crpc@rbi.org.in

22. रिक्वरी एजेंट की नियुक्ति

- उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक या उसका व्यवसाय प्रतिनिधि, बैंक के विवेकाधिकार पर, ऋण या किसी भी बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक की स्थिति में बैंक की ओर से कार्य करने के लिए एक वसूली एजेंट नियुक्त कर सकता है। बैंक उधारकर्ता को पूर्व सूचना के बिना वसूली एजेंट को असाइन करने, पुनः असाइन करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- नियुक्त वसूली एजेंट के पास यह अधिकार होगा:
 - बैंक की ओर से उधारकर्ता से मूलधन, ब्याज, दंड और अन्य शुल्कों सहित अतिदेय राशि एकत्र करें।
 - बैंक से अनुमोदन के अधीन, उधारकर्ता द्वारा बकाया किसी भी बकाया राशि पर बातचीत करें, समझौता करें या निपटान करें।
 - लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, सुरक्षित संपत्ति के कब्जे सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं कानूनी या अन्य कार्रवाई शुरू करें।
- उधारकर्ता बैंक द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट के साथ सहयोग करने और वसूली की सुविधा के लिए वसूली एजेंट द्वारा अनुरोधित आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने के लिए सहमत है। उधारकर्ता वसूली एजेंट को किसी भी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोकेगा या बाधित नहीं करेगा।

- d. वसूली एजेंट वसूली गतिविधियों के प्रदर्शन में भारतीय रिज़र्व बैंक (या संबंधित नियामक प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों सहित सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि बैंक और वसूली एजेंट गोपनीयता बनाए रखेंगे और वसूली कार्यवाई करते समय नैतिक मानकों का पालन करेंगे।
- e. कानूनी शुल्क सहित वसूली प्रक्रिया के संबंध में बैंक और/या वसूली एजेंट द्वारा किए गए सभी उचित लागत और खर्च, उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे और बकाया राशि में जोड़े जाएंगे।
- f. बैंक इस खंड के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी भी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने या सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें वसूली एजेंट भी शामिल है, उधारकर्ता को पूर्व सूचना दिए बिना
23. बैंक ने उन्हें उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में पर्याप्त आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करके कर्मचारियों का उचित व्यवहार सुनिश्चित किया है। इसके अलावा, बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता के अनुरूप है। शिकायत निवारण प्रणाली में प्रदान किए गए तरीके से किसी भी प्रकृति की शिकायतों का निवारण किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुचित कर्मचारियों के व्यवहार को रोकने के लिए उपाय तैयार किए गए हैं।
24. यदि इस समझौते के निर्वह के दौरान या उसके बाद, इस समझौते के निर्वह के दौरान या उसके बाद, इस समझौते के किसी भी प्रावधान की वैधता, व्याख्या, कार्यान्वयन या कथित सामग्री उल्लंघन के संबंध में या किसी प्रश्न के संबंध में, जिसमें मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक से संबंधित मामले शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, तो पार्टियों (यानी, उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर/एस और बैंक) के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, सुरक्षा का प्रवर्तन, ब्याज दर का प्रतिशत, जुर्माना, ऋण की अवधि, सुरक्षा, पुनर्भुगतान, सामान्य नियम और शर्तें या समय-समय पर इसका संशोधन, किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी नियम और शर्तों की स्वीकृति या इनकार और इस तरह के अन्य प्रासंगिक मामलों के संचालन के संबंध में या इस समझौते के खंडों के कार्यान्वयन, कार्यान्वयन या समाप्ति के संबंध में, पार्टियाँ इस तरह के विवाद को चर्चा के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगी।
25. पार्टियों द्वारा समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को ऊपर बताए गए तरीके से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में विफलता के मामले में, विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और एक स्वतंत्र और तटस्थ द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान के माध्यम से आयोजित और प्रशासित किया जाएगा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार और "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" के नियमों और विनियमों के संयोजन में "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" नामक तीसरे पक्ष के संस्थान को इंटरनेट पर उपलब्ध और "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" द्वारा अनुरक्षित वेबसाइट पर होस्ट किया arbitration.jupitice.com। विवाद पर निर्णय लेने के लिए नियुक्त मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एक शामिल होगा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र एकमात्र मध्यस्थ, 1996, और "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" के नियम। मध्यस्थता कार्यवाही की सीट नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत होगी। मध्यस्थता का स्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत होगा। सभी मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता का प्रक्रियात्मक कानून भारतीय कानून होगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का पुरस्कार अंतिम होगा और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यस्थ के चयन में बैंक का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा। एकमात्र मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही की लागत पर भी निर्णय लेगा। इस खंड के प्रावधान इस समझौते की समाप्ति से बचेंगे।
26. उधारकर्ता एतद्वारा पुष्टि करता है कि उसने बैंक द्वारा उसे दी गई ऋण सुविधाओं के सभी नियमों और शर्तों को इस समझौते में विस्तृत रूप से समझा है और एतद्वारा वचन देता है और कहता है कि वह ऐसी सभी शर्तों से बाध्य होगा और इस समझौते से उत्पन्न होने वाले अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगा। इस समझौते की सामग्री को उधारकर्ता को उनके द्वारा ज्ञात स्थानीय भाषा में पढ़ा और समझाया गया था और वे ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं
- परिसंपत्ति वर्गीकरण:
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर, 2021 को "आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों - स्पष्टीकरण" पर अपनी अधिसूचना के अनुसार, उधारकर्ता निम्नलिखित ऋण वर्गीकरण संरचना को नोट करेगा:

वर्गीकरण	डीपीडी बकेट रेंज	या क्रिसम
एसएमए-0	30 दिनों तक	यदि ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और इस तिथि के लिए दिन की समाप्ति प्रक्रिया से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी, इसे इस प्रकार टैग किया जाएगा SMA-0 31 मार्च, 2021 को।
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	उपरोक्त को जारी रखते हुए, यदि खाता अतिदेय रहता है, तो इसे 30 अप्रैल, 2021 को चलने वाली दिन-समाप्ति प्रक्रिया पर यानी 30 दिनों के पूरा होने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा लगातार अतिदेय होने का।
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	उपरोक्त को जारी रखते हुए, यदि खाता अतिदेय रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलने पर एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा, यानी 60 दिन पूरे होने पर लगातार अतिदेय होना।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA)	90 दिनों से अधिक	उपरोक्त को जारी रखते हुए, और यदि आगे भी अतिदेय रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एक बार जब कोई खाता एनपीए बन जाता है यानी 90 दिनों तक अतिदेय रहता है, तो इसे एनपीए के रूप में टैग किया जाएगा जब तक कि यह सभी अतिदेय राशि का भुगतान नहीं कर देता है और इसका डीपीडी 0 नहीं हो जाता है। कोई किए गए आंशिक भुगतान से एनपीए की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा।
*अतिदेय राशि पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार देय ब्याज या मूलधन और ब्याज है।		

विविध

- उधारकर्ता/उधारकर्ता की बकाया राशि को रद्द या रद्द नहीं किया जाएगा या उधारकर्ता या किसी तीसरे पक्ष की मृत्यु या दिवालियापन से प्रभावित नहीं किया जाएगा, और शिवालिक बैंक, जब तक उधारकर्ता/लोगों की बकाया राशि का पूरा (या कोई हिस्सा) शिवालिक बैंक को बकाया रहता है, तब तक वह अपने सभी अधिकारों पर कार्य करने और लागू करने का हकदार होगा, और उधारकर्ता/या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिवालिक बैंक के पक्ष में/के पक्ष में निष्पादित समझौते और लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार।

2. यदि शिवालिक बैंक डिफॉल्ट की घटना के घटित होने पर/उसके बाद सुविधा को वापस ले लेता है, और उधारकर्ता शिवालिक बैंक से उधारकर्ता/लोगों की बकाया राशि के आंशिक भुगतान स्वीकार करने और उधारकर्ता को भविष्य में किस्तों का पुनर्भुगतान जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध करता है, तो शिवालिक बैंक ऐसे और नियमों और शर्तों पर ऐसे अनुरोधों पर विचार/स्वीकार कर सकता है जो शिवालिक बैंक अपने विवेकाधिकार में उचित और उचित समझे। शिवालिक बैंक द्वारा उधारकर्ता के ऐसे अनुरोधों को अनुमति न देने का कोई भी निर्णय अंतिम होगा और उधारकर्ता/कर्जदारों के लिए बाध्यकारी होगा।
3. उधारकर्ता शिवालिक बैंक के अनुमोदन के बिना समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभ या दायित्वों को सौंपेगा या हस्तांतरित नहीं करेगा। शिवालिक बैंक, किसी भी समय, ऋण शर्तों और अन्य लेनदेन दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभ और दायित्वों को सौंप या हस्तांतरित कर सकता है। इस तरह के किसी भी समनुदेशन या हस्तांतरण के बावजूद, उधारकर्ता, जब तक कि शिवालिक बैंक द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो, शिवालिक बैंक को समझौते के तहत सभी भुगतान करना जारी रखेगा और शिवालिक बैंक को किए जाने पर ऐसे सभी भुगतान ऐसे भुगतानों के संबंध में उधारकर्ता को उसकी सभी देनदारियों से पूर्ण रूप से मुक्त कर देंगे।
4. ऋण समझौता और अन्य लेनदेन दस्तावेज (जब तक कि आवेदन पत्र या ऐसे किसी भी लेनदेन दस्तावेज में अन्यथा निर्दिष्ट न हो) भारत के कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा।
5. उधारकर्ता की देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता की देयता उन मामलों में होगी जहां एक से अधिक उधारकर्ता ने संयुक्त रूप से ऋण के लिए आवेदन किया है, संयुक्त और कई होंगे। यदि उधारकर्ता एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, तो उधारकर्ता उपरोक्त चिंता की देनदारियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और शिवालिक बैंक को ऋण के संबंध में सभी राशियों का पुनर्भुगतान/भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
6. शिवालिक बैंक के पास किसी भी समय ऋण के किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन या पूरक करने का पूर्ण विवेक है और वह ईमेल द्वारा पंद्रह (15) दिनों की पूर्व सूचना देने का प्रयास करेगा या वेबसाइट पर डालेगा, जैसा भी मामला हो, जहां भी संभव हो ऐसे परिवर्तनों के लिए हो और इस तरह के संशोधित नियम और शर्तें उधारकर्ता पर लागू होंगी और बाध्यकारी होंगी। इसके अलावा, नियम और शर्तें भी आरबीआई द्वारा समय-समय पर बैंकों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों/निर्देशों के आधार पर परिवर्तनों के अधीन होंगी।
7. उधारकर्ता एतद्वारा सहमत होता है और पुष्टि करता है कि इन्वेंट्री, बुक ऋण, बकाया धन, प्राप्त आदि सहित बनाई गई कोई भी परिसंपत्ति, ऋण और ब्याज और शुल्क के भुगतान के लिए संपादक के रूप में काम करेगी, इन परिसंपत्तियों को ऋण का उचित पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंक से हाइपोथेकेट या शुल्क लिया जाएगा इस दस्तावेज, आवेदन और अन्य दस्तावेजों को उधारकर्ता को ज्ञात भाषा में उधारकर्ता को समझाया गया है और उधारकर्ता ने इसे पढ़ा और समझा है। घोषणा प्रमाणित करती है कि उपरोक्त सामग्री को बैंक अधिकारियों द्वारा ज्ञात भाषा में निष्पादकों को विधिवत समझाया गया था, जो इसे पूरी तरह से समझने के लिए प्रतीत होते हैं और नीचे उल्लिखित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। उधारकर्ता ने अनुसूची के अंत में इस दस्तावेज की सामग्री को सत्यापित करने और समझने के बाद अपने हस्ताक्षर चिपका दिए हैं।

अनुसूची-II (ऋण विवरण)

1. ऋण सुविधा	सावधि ऋण
2. ऋण राशि	
3. ऋण का उद्देश्य/अंतिम उपयोग	मवेशी खरीद
4. ब्याज की निश्चित दर	
5. ऋण की अवधि	
6. पुनर्भुगतान का तरीका	नँच एसआई दूसरों सक्षम लागू नहीं लागू नहीं
7. चुकौती प्रारंभ तिथि	
8. स्वीकृति पत्र की तारीख	
9. अतिदेय शुल्क	अतिदेय राशि पर 12.0% प्रति वर्ष

अनुसूची-III

स्थान और निष्पादन की तारीख का विवरण पर: यह ऋण समझौता तिथि:		
का विवरण उधारकर्ता और पता नाम: एड्रेस: पिन: पैन: हस्ताक्षर:	सह-निगम का विवरण- उधारकर्ता और पता नाम: पिन: पैन: हस्ताक्षर:	सह-निगम का विवरण- उधारकर्ता और पता नाम: एड्रेस: पिन: पैन: हस्ताक्षर:

अनुसूची-IV

तारीख (Date):	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के
स्थान:	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संवितरण अनुरोध प्रपत्र

दिनांक:

स्थान:

सेवा में,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

_____ (शाखा का नाम) उधारकर्ता का

नाम:

विषय: ऋण के लिए संवितरण के लिए अनुरोध प्रिय महोदय/महोदया,

यह मेरे ऋण आवेदन दिनांक के संदर्भ में है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मेरा ऋण वितरण जारी करें:

ऋण विवरण	
कुल ऋण राशि	
प्रोसेसिंग शुल्क + जीएसटी	
डॉक्यूमेंटेशन शुल्क + जीएसटी	
बीमा शुल्क	
उधारकर्ता को शुद्ध वितरण	
आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस फंड ट्रांसफर के माध्यम से संवितरण का विवरण	
लाभार्थी का नाम	
बैंक का नाम	
बैंक खाता संख्या	
आईएफएससी कोड	
संवितरण राशि	

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उधारकर्ता से किसी भी और पुष्टि के बिना किसी भी बकाया / अग्रिम ईएमआई / पीईएमआई ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क + जीएसटी, या लागू करों/शुल्क, लागत और स्वीकृत मंजूरी शर्तों और/या अन्य शर्तों के अनुसार खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क में कटौती कर सकता है।

उधारकर्ता के लिए शुद्ध बहिर्वाह		
संवितरण प्रकार	लाभार्थी खाता संख्या	वितरित राशि

उधारकर्ता के हस्ताक्षर